Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

नन्दकिशोर बनाम जिला कलक्टर, पाली

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र, नम्बर :– 63 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
/18	वकील सायल उपस्थित। वकील सा0 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत् पेश किया हैं। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। गै0सा0 को जरिये नोटिसेज तलब किये जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 10/5/18 को पेश हो। SDO	353-354 4/4/18
10/5/18	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार ... राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय आ. कालू अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 17.5.18 को पेश हो। SDO	
17/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्रा० पं० मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र आ. कालू पर पेश हुई। पत्रावली न्यायालय हाजा मुकाम-जैतारण में वास्ते सुनवाई दिनांक 21/8/18 को पेश हो। SDO	
18/7/18	वकील सायलान द्वारा मूल वाद है पत्रावली तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करते है पत्रावली आज पेश हुई। अंगरा 3 का नकल ... प्रार्थना पत्र पेश किया, जिनको विरुद्ध मूल वाद के लिया गया। सरकारी वकील को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 2/8/18 को पेश हो। SDO	
27/7/18	वकील सायलान द्वारा दिनांक 18/7/18 को मर्जेन्ट सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करते है पत्रावली	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आज पेश हुई।
	तरमीमी पेशीमार्फ़ के जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल मि. की प्रति वकील नालिशान को दिलाई गई।
	बहस सुनी गई। बगौर मिसल मी गई। वकील नालिशान ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि जरिये बसली फरवार हस्ब आफ मालूम है कि नालिशान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी भूमि ख.नं. 820 रकबा 16-08 बीघा व ख.नं. 819 रकबा 07 बिस्वा गांव बेरु आना उक्त भू के मौके का नजरी नक्शा मय फोटोग्राफ के साथ पेश है। उक्त आराजी के लगते ख.नं. 835 रकबा 9-06 बीघा कब्रिस्तान व शमशान की भूमि आई हुई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त कब्रिस्तान व शमशान के चारों तरफ प्रतिवादी सं. एक व दो की देखरेख में पक्की चारदीवारी बनाई जा रही है। कब्रिस्तान की जमीन राजस्व रेकर्ड में 9-06 बीघा दर्ज है। ~~लेकिन~~ लेकिन मौके पर 14 बीघा जमीन पर कब्जा कर पक्की चार दीवारी का निर्माण किया जा रहा है जो अवैध है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि व खेरे पर आने जाने के लिये उक्त शमशान व कब्रिस्तान के लगते ही खसरा नं. 835 में से 25 फुट चौड़ा रास्ता आया हुआ है जो मौके पर चालू हालात में है। उक्त के अधीनस्थ कर्मचारी व ठेकेदार मजदूर आदि मिलकर नालिशान के खातेदारी ख.नं. 820 में 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर दिनांक 17/3/18 को नींवें खोदकर और मौके पर नालिशान की खातेदारी जमीन में पत्थर डाल दिये मना किया तो नहीं माने। ऐसे में नालिशान की खातेदारी भूमि व कुएं पर जाने के रास्ते

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बन्द कर देंगे। जबकि ग्रा.पं. के अधीनस्थ कर्मचारी व ठेकेदार आदि को कोई किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जबरन तौर से निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार खस. नं. 820 की खातेदारी जमीन में ग्रा.पं. के कर्मचारी एवं ठेकेदार मजदूर आदि ने नींव खोदकर पत्थर डाल दिये ~~...~~ जिनके जरिये मन्डेटरी आदेश नींव खुदाई करके पत्थर हटाये जावे व किसी प्रकार का निर्माण कार्य ग्रा.पं. स्वयं व उनके अधिनस्थ कर्मचारी ठेकेदार आदि नहीं करे जरिये आस्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोका जावे व नकशा नजरी में जो लाल स्याही से रास्ता 26 फुट चौड़ा सड़क बताया गया उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कर रास्ते में किसी प्रकार की बाधा अवरोध पैदा नहीं करे जरिये आस्थाई निषेधाज्ञा ताकीदा दायरोल जावे।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार गंगरार ने जवाब में कथन किया कि वादी अपनी खातेदारी भूमि की सीमा में ही आपत्ति दर्ज करने का हकदार है। इस संबंध में नि. भू. अ. आर. कालु ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आर. कालु द्वारा वर्तमान में खस. नं. 835 कब्रिस्तान की भूमि में चार दिवारी निर्माण से वादी के खातेदारी भूमि खस. नं. 820 में जाने हेतु रास्ता (वैकल्पिक) बन्द हो गया है तथा खस. नं. 820 में ~~...~~ में से 2 बीघा भूमि पर कब्जा करने एवं चार दिवारी निर्माण के तथ्य सही नहीं है। नि. भू. अ. द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट पत्र नत्थी है। जमाबंदी नकल साक्ष्य में अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इस संबंध में RI आर कालु ने बताया कि मौके पर विवादित भूमि पर निर्माण कार्य हो चुका है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कब्जाशुदा की भूमि ख.नं. 835 का सीमाज्ञान सर्वे टीम द्वारा किया जाकर मौके पर निशानात लगाये गये है। रि. आ. मालू द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि कब्जाशुदा मौके पर जाने वाला रास्ता कटानी नहीं है वैकल्पिक है। सायल की खातेदारी भूमि ख.नं. 820 की भूमि पर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती कर चार दिवारी निर्माण नहीं किया गया है। अतः सायल को किसी भी प्रकार की शंका एवं संदेह है कि कब्जाशुदा ने चार दिवारी निर्माण कर उसकी खातेदारी भूमि ख.नं. 820 मौके पर कब्जाशुदा में मिला दी है तो विधिवत प्रक्रिया अपनाकर उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवा सकता है। इसके अलावा रास्ता सम्बन्धी समस्या है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। सायल द्वारा दायर इस प्रकरण में कोई अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
	पत्रावली का दाखिलाना एवं ज्ञात प्रा. पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया है। यहां जरिये मौका निरीक्षण किया गया। ख.नं. 820 सायलान की खातेदारी भूमि है। ख.नं. 835 कब्जाशुदा की आराजी है जिसका सर्वे टीम द्वारा सीमाज्ञान कर चार दिवारी का निर्माण किया गया है।
	अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ~~[illegible]~~ बहक सायलान विरुद्ध उत्तरदाता अप्रार्थी जारी की जाती है कि मौजा वल्ली पटवार हल्का अ. कालू [illegible] के रिक्त सायलान की खातेदारी भूमि ख.नं. 820 रकबा 16-08 बीघा के किसी हिस्से एवं ख.नं. 819 रकबा 0-07 बीघा के किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करेंगे हेतु उक्त प्रा. को मूल वाद के निर्णय तक की जरिये आस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली केवल हुक्म बोर्ड नम्बर से मय की बाद तामील जावे दाखिल दफ्तर होवे। घोषित किया गया।
	SDO